

संख्या-736/एक-10-2023-33(221)/2011

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

सेनानायक,
राज्य आपदा मोचन बल,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ:

दिनांक: 29/05/2023

विषय:- राज्य आपदा मोचन बल, उ०प्र०, लखनऊ में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष-2023-24 में राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या-एड्यू-23/2023, दिनांक-15.04.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य आपदा मोचन बल, उ०प्र०, लखनऊ में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को विभिन्न प्रकार की आपदाओं के दौरान होने वाली क्षति के दमन/न्यूनीकरण हेतु उनकी व्यावसायिक दक्षता में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए वाहिनी मुख्यालय एवं अन्य संस्थानों में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कराए जाने हेतु रुपये 1,23,60,640/-(एक करोड़ तेइस लाख साठ हजार छः सौ चालीस मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण संस्थान	प्रदाता	प्रशिक्षुओं की संख्या	प्रशिक्षण अवधि (सप्ताह / दिवस)	प्रति प्रशिक्षण अनुमानित दर	कुल अनुमानित धनराशि (रु० में)
1	एस०डी०आर०एफ० में नव नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी का सी०एस०एस०आर०/एम०एफ०आर०/फ्लड रेस्क्यू /सी०बी०आर०एन०/पेसिक/एडिशनल प्रशिक्षण	एन०डी०आर०एफ०		225	09 सप्ताह	12000	2700000
2	स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण	कलिंगा डाइवर्स फाउण्डेशन ओडिशा		60	04 सप्ताह	52000	3120000
3	रोप रेस्क्यू प्रशिक्षण			70	03 सप्ताह	28000	1960000
एडवांस कोर्स							
4	1.टी०ओ०टी०, सी०एस०एस०आर० एंड एम०एफ०आर०	एन०डी०आर०एफ०		54	05 सप्ताह	10930	590220

2.टी०ओ०टी० सी०वी०आर०एन०		38	04 सप्ताह	3580	136040
3.एम०ओ०टी० सी०वी०आर०एन०		16	02 सप्ताह	1495	23920
4.एम०ओ०टी० सी०एस०एस०आर०एण्ड एम०एफ०आर०		27	01 सप्ताह	3430	92610
5.उपकरण मेन्टीनेन्स प्रशिक्षण		60	01 सप्ताह	4000	240000
6.टी०ओ०टी० स्कूल सेफ्टी		50	23 दिवस	3500	175000
7.बोरबेल रेस्क्यू प्रशिक्षण		50	03 दिवस	2457	122850
8.केमिकल (इन्ड्रस्ट्रियल) डिजास्टर मैनेजमेन्ट इमरजेन्सी मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट, भोपाल (सी०आई०इ०एम०)		30	15 दिवस	40000	1200000
योग					10360640
आन्तरिक प्रशिक्षण एस०डी०आर०एफ०/मॉक ड्रिल/ मेन्टीनेन्स		400	-	-	2000000
सम्पूर्ण योग					12360640

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक- 17.05.2023 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयानुसार राज्य आपदा मोचन बल, 30 प्र०, लखनऊ में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराए जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹० 1,23,60,640/- (एक करोड़ तेइस लाख साठ हजार छः सौ चालीस मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सेनानायक, राज्य आपदा मोचन बल, 30 प्र० के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य राहत आयुक्त संगठन से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।
2. स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/वजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
3. इस सम्बंध में भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्ग-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
4. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक-31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक-31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
5. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
7. समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करायी जायेगी तथा प्रतिभागियों के नाम/पदनाम, जिला/मोबाइल नम्बर आदि के साथ सम्पूर्ण विवरण शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।
8. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और

प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 1,23,60,640/- (एक करोड़ तेइस लाख साठ हजार छः सौ चालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000611 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Signed by राम केवल
Date: 29-05-2023 16:31:35
Reason: Approved
(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या:-736(1)/एक-10-2023-33(221)/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30 प्र०, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, 30 प्र० शासन।
- 3- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30 प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग 30 प्र०।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30 प्र०।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-05/06/2023

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

736
001-736
51 राजस्व विभाग (द्वि विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2563-सेनानायक आपदा मोचन बल , लखनऊ-02-एसडीआरएफ	वर्तमान प्रणामी	12360640 12360640	12360640 12360640
	योग	वर्तमान प्रणामी	12360640 12360640	12360640 12360640

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया एक करोड़ तेइस लाख साठ हजार छः सौ चालीस
रूपया एक करोड़ तेइस लाख साठ हजार छः सौ चालीस

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी